भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2585

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में कारपोरेट घरानों की सक्रिय भागीदारी

2585. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया इन्कारपोरेशन द्वारा हाल में आयोजित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कम्पेन्डीअम में कारपोरेट कम्पनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलापों के कुशल कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार द्वारा समाज के लाभ हेतु कारपोरेट घरानों से उनके कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भागीदारी करवाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का प्रावधान करने का आशय पात्र कारपोरेट को प्रोत्साहित करना है ताकि वे समाज के व्यापक हित में विवेकपूर्ण ढ़ंग से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायी ढंग से कार्य करें। अधिनियम का यह आशय सरकार द्वारा विभिन्न मंचों पर दोहराया गया है।

(ख): कंपनियों द्वारा सीएसआर का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने (i) अधिनियम की अनुसूची-VII में संशोधन किया है ताकि व्यापक कार्यकलापों को सीएसआर कार्यकलाप के रूप में मान्यता दी जा सके; (ii) दिनांक 18.06.2014 को एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची-VII की उदार व्याख्या करने का सुझाव दिया गया है; और (iii) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन किए गए हैं ताकि (क) सीएसआर के लिए 'प्रशासनिक ओवरहेड व्यय' को मान्य सीएसआर व्यय में शामिल किया जा सके और (ख) कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप चलाने के लिए संसाधनों की पूलिंग की जा सके। उपर्युक्त सभी दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

*****